न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 71 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. मोटाराम पुत्र उम्मेदाराम जाति जाट उम्र 62 वर्ष निवासी कुम्हारों की ढाणी, जालीपा तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	1.सुखाराम पुत्र जेठाराम फौत का.मु. 1/1मूलाराम पुत्र सुखाराम उम्र 50 वर्ष 1/2उमाराम पुत्र सुखाराम उम्र 45 वर्ष 1/3केवलाराम पुत्र सुखाराम उम्र 36 वर्ष 2.धर्माराम पुत्र जेठाराम का.मु. 2/1राणाराम पुत्र धर्माराम उम्र 49 वर्ष 2/2स्वरूपाराम पुत्र धर्माराम उम्र 40वर्ष 2/3किशनाराम पुत्र धर्माराम उम्र 35वर्ष 2/4हीराराम पुत्र धर्माराम उम्र 30 वर्ष 2/5ढेली पत्नी धर्माराम उम्र 68 वर्ष जाति प्रजापत निवासी जालीपा तहसील व जिला बाड़मेर। 3.लाभूराम पुत्र धर्माराम उम्र 49 वर्ष 4.चुनाराम पुत्र धर्माराम उम्र 45 वर्ष 5.चनणी पत्नी धर्माराम उम्र 70 वर्ष 6.मूलाराम पुत्र हेमाराम उम्र 35 वर्ष 7.सूजी पत्नी हेमाराम उम्र 55 वर्ष 8.जुझाराम पुत्र वागाराम उम्र 13 वर्ष 9.जेताराम पुत्र वागाराम उम्र 10 वर्ष 10.भवरी पत्नी वागाराम उम्र 30 वर्ष उतरदाता संख्या 8 व 9 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता भवरी पत्नी वागाराम उतरदाता संख्या 10 11.मेहाराम पुत्र भूराराम का.मु. 11/1पाबूराम पुत्र मेहाराम उम्र 30 वर्ष 11/2हुकमाराम पुत्र मेहाराम उम्र 25वर्ष 11/3श्रीमती धापू पत्नी मेहाराम उम्र 45 12.लुणाराम पुत्र जुगताराम उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी जालीपा तहसील व जिला बाड़मेर 13.आदूराम पुत्र राजूराम उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी महाबार तहसील व जिला बाड़मेर। 14.सजनी पत्नी हेमाराम उम्र 55 वर्ष 15.रतनी पत्नी मोटाराम उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी जालीपा तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

16.भंवरलाल पुत्र कानाराम उम्र 60 वर्ष
जाति जाट निवासी नेहरू नगर बाड़मेर
17.शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे शाखा
स्टेशन रोड बाडमेर
18.तहसीलदार बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 101/2000 बअनवान सुखा बनाम धर्मा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2001 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अम्बालाल जोशी, श्री कुमार कौशल जोशी रेस्पोडेंट संख्या 01,02 की ओर से।
3. वकील श्री सुरेश चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 06,10,14,15 एवं 16 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 06.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा एक वाद इस आशय का पेश किया कि मौजा जालीपा में स्थित खेत खसरा संख्या 91 रकबा 111.10 बीघा में वादी के पिता जेठा, प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता उम्मेदा, प्रतिवादी संख्या 4 के दादा उम्मेदा एवं प्रतिवादी संख्या 5 के पिता जुगता के संयुक्त खातेदारी का आया हुआ है जिसमें 1/3 हिस्सा वादी के पिता जेठा का एवं 2/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता उम्मेदा, प्रतिवादी संख्या 4 के दादा उम्मेदा एवं प्रतिवादी संख्या 5 के पिता जुगता का है। भू पैमाईश के समय उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपने हिस्से मुजब जेठा, उम्मेदा व जुगता काबिज थे परन्तु भू पैमाईश विभाग के कर्मचारियों ने वक्त पैमाईश वादग्रस्त आराजी में 4/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता उम्मेदा, प्रतिवादी संख्या 4 के दादा उम्मेदा एवं प्रतिवादी संख्या 5 के पिता जुगता के नाम खातेदारी में अंकित की और 1/5 हिस्सा वादी के पिता जेठा के नाम अंकित की जबकि मौके पर वादी 1/3 हिस्सा पर काबिज है तथा प्रतिवादीगण के वंशज 2/3 हिस्से पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उतरदाता संख्या 01 स्व. सुखा ने तामील कुन्निदा के साथ मिलीभगत कर अपीलांट के नोटिस व्यक्तिगत रूप से तामील बताकर न्यायालय में पेश कर दिया जबकि उक्त सम्मन पर विशनाराम के कोई हस्ताक्षर या अगुष्ठ निशान नहीं है जहां पर तामीलकर्ता/आसामी के हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान होता है वा जगह खाली है। फर्जी तामील के बाद वादी सुखा ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की ओर से किसी गणपतदान चारण अधिवक्ता को नियुक्त कर इकबाली

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जवाबदावा तैयार करवाकर उस पर अपीलांट के फर्जी अगुष्ठ निशान कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करवा दिया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य लिये मात्र वाद व फर्जी इकबाली जबावदावा के आधार पर वादी का वाद स्वीकार कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया साथ ही अपीलांट को अपना पक्ष रखने हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर एवं विधि की मंशा के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि मौजा जालीपा खसरा संख्या 91 रकबा 111.10 बीघा वक्त सेटलमेंट उम्मेदा, जुगता पिता टीकू 4/5 व सुखा वल्द जेठा 1/5 दर्ज है। संवत 2057–60 तक जमाबंदी तक अंकन उपरोक्तानुसार है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उतरदाता संख्या 01 स्व. सुखा ने तामील कुन्निदा के साथ मिलीभगत कर अपीलांट के नोटिस व्यक्तिगत रूप से तामील बताकर न्यायालय में पेश कर दिया जबकि उक्त सम्मन पर विशनाराम के कोई हस्ताक्षर या अगुष्ठ निशान नहीं है जहां पर तामीलकर्ता/आसामी के हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान होता है वा जगह खाली है। सम्मन में स्पष्ट है कि प्रतिवादी जालीपा में नहीं रहकर गरल में रहना बताया है। इकबालिया बयान में हस्ताक्षर सत्यापित नहीं है। लूणाराम ने भूमि बेच दी उसके हिस्से की है इससे मतलब नहीं है। अपीलांट अनपढ होने से अंगुष्ठ निशान किये है। सुखाराम की मृत्यु होने से कार्यवाही नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 06.09.2000 को सम्मन पुनः पेश होने का उल्लेख है लेकिन फर्जी तामील के बाद वादी सुखा ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की ओर से किसी गणपतदान चारण अधिवक्ता को नियुक्त कर उसी दिन इकबाली जवाबदावा तैयार करवाकर उस पर अपीलांट के फर्जी अगुष्ठ निशान कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करवा दिया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य लिये मात्र वाद व फर्जी इकबाली जबावदावा के आधार पर वादी का वाद स्वीकार कर दिया। इकबाली दावा संदेहस्पद है क्योंकि कोई बयान व साक्ष्य नहीं किये कोई परीक्षण

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नहीं हुआ। अपीलांट ने वकील गणपतदान की शिकायत बार में की है लेकिन अभी तक जबाव नहीं आया है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 29.10.2018 को अपील पेश हुई जिसको दिनांक 19.11.2018 को मियाद कि बिंदु पर खारिज की गई जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील की गई जहां से आदेश पारित करते हुए अपील को अंदर मियाद शुमार किया गया तथा गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण न्यायालय हाजा को रिमाण्ड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के दावे में पिता जेठाराम का नाम बताया जबकि दस्तावेज में स्वयं के नाम से किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया साथ ही अपीलांट को अपना पक्ष रखने हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर एवं विधि की मंशा के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRD 2001 Page 105
RRT 2012(1) Page 444
RRT 2012(1) Page 658
RRT 2012(1) Page 655
RLW 2006(1) RJ Page 177

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फ़रमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर इकबालीया जबावदावा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। इकबालिया जबाव में अपीलांट के अंगुष्ठ निशान है। केवल मात्र मोटाराम ने ही अपील पेश की है अन्य भाईयों ने अपील नहीं की है। अपीलाधीन निर्णय का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दिनांक 02.07.2001 को हो गया। सन् 2001 से 2011 तक रिकॉर्ड निर्णय अनुसार चला। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 05 लूणाराम ने 17/01/2011 में अपनी भूमि आदूराम को विक्रय की तथा आदूराम पुत्र राजुराम ने 42/2011 बंटवाड़े का दावा पेश किया जिसमे दिनांक 26.04.2011 में राजीनामा हुआ जिसमें सबके हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी करने से पूर्व सभी पक्षकारान में सहमति होने से बयान नहीं किये गये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन अपीलांट के पुत्र विशनाराम से तामील है। अपीलांट द्वारा मामले को लंबा करने की नियत से अपील पेश की गई जबकि वास्तविक तथ्यों से अपीलांट स्वयं परिचित है। अपीलांट की अपील एक मिथ्या कूटरचित तथ्यों को आधार बनाते हुए प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये :–

RRT 2015(1) Page 278
RRT 2014(1) Page 525
RRT 2014-15(Supp.) Page 429
RRT 2018(1) Page 569

अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधि सम्मत निर्णय को यथावत रखा जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 06,10,14,15 एवं 16 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण है जिसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अतः अपीलांट द्वारा न्यायायल हाजा में पेश अपील को स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं होगा।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय इकबालीया जबावदावा के आधार पर पारित किया गया है जबकि इकबालीया जबावदावा का परीक्षण नहीं करवाया गया है। वादग्रस्त खेत अपीलांट का पैतृक व पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि है तथा एक पैतृक खातेदारी के रेकर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय पारित करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी हनन हुआ तथा अपीलांट को अपने अधिकारों से महरूम होना पड़ा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसे गम्भीर विवादित प्रकरण में न तो विवाधक बिन्दू कायम किये गये तथा न ही किसी प्रकार की कोई साक्ष्य ली गई तथा न ही मौका स्थिति के बारे में मौका रिपोर्ट तलब की गई तथा न ही स्वयं द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तथा मात्र उतरदाता संख्या 01 के मौखिक कथनों व ईकबाली जबावदावा के आधार पर वाद को डिक्री करना विधि सम्मत नहीं है। वक्त सेटलमेंट मौजा जालीपा खसरा संख्या 91 रकबा 111.10 बीघा उम्मेदा, जुगता पिता टीकू 4/5 व सुखा वल्द जेठा 1/5 दर्ज है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से जमीन को कम ज्यादा करने का आधार भी स्पष्ट नहीं किया गया है जिससे राज्य सरकार

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

को मुद्रांक का भी नुकसान हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जिस दिन इकबालीया जबावदावा पेश किया उस दिन उपस्थित पक्षकारान के आदेशिका में हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान नहीं करवाना भी संदेहस्पद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि की दृष्टि से त्रुटि पूर्ण है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने योग्य ठहरता है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 101/2000 बअनवान सुखा बनाम धर्मा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2001 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर तनकीयात कायम कर तनकीवार साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को निर्देश दिये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर के समक्ष दिनांक 17.03.2020 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो। इससे पूर्व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भिजवाई जावे।

06/2/20
(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/2/20
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner